<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

स्वत्व वाद सं0–81/2021

बूनेला यादव एवं अन्य...वादीगण

बनाम

तुलसी साह एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
18.03.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 07.01.2026 अंदर आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जो आज दिनांक 18.03.2026 को आदेश हेतु नियत है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 बूनेला यादव की मृत्यु दिनांक 17.12.2025 को हो चुकी है। स्व0 बूनेला यादव अपने पीछे अपने विधिक वारिसान के रूप में अपने एक मात्र पुत्र श्याम बहादुर यादव को छोड़कर मरे है। स्व0 बूनेला यादव की पत्नी की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी सं0–01 बूनेला यादव का नाम कलमजद करते हुए उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान के रूप में उनके पुत्र श्यामबहादुर यादव का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा की जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का कोई प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया लेकिन मौखिक विरोध किया गया एवं आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण के द्वारा एक आवेदन दिनांक 07.01.2026 को अंदर आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया तथा निवेदन	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–81/2021

बूनेला यादव एवं अन्य...वादीगण

बनाम

तुलसी साह एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार **18.03.2026**	किया है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01 बूनेला यादव का नाम कलमजद करते हुए उनके स्थान पर उनके विधिक वारिसान के रूप में उनके पुत्र श्यामबहादुर यादव का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाए। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण का आवेदन समय–सीमा के अन्दर है। अतः न्यायहीत में वादीगण का आवेदन दिनांक 07.01.2026 को स्वीकृत किया जाता है एवं वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि समय–सीमा के अंदर वाद पत्र से वादी सं0–01 बूनेला यादव का नाम विलोपित करते हुए उनके विधिक वारिसान का नाम प्रतिस्थापित करें। आगामी दिनांक 13.05.2026 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत किया जाता है। लेखापित अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	